न्यायालय—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—पंचम—सह—
विशेष उत्पाद न्यायालय—द्वितीय,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या—2261/2022
किउल थाना कांड सं0—143/2022

दिपक कुमार——आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य———————————————————————————————————————विपक्षी।

धारा—30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता— श्री धर्मराज कुमार भंडारी।
राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक— श्री जय शंकर प्रसाद।

आदेश

11.11.2022— दिनांक—04.10.2022 से काराधीन अभियुक्त **दिपक कुमार, पिता—श्री मुरारी साव** की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो किउल थाना कांड संख्या—143/2022, अंतर्गत धारा—30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है।

अभियोजन केस संक्षेप में यह है कि सूचक पु0अ0नि0 धीरेन्द्र कुमार पाठक हैं, जो घटना के किउल थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक—03.10.2022 को सूचक अपने सहयोगियों के साथ दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटि में रेलवे पार्किंग किउल के पास खड़े थे तो देखे कि टिकट काउन्ट के तरफ से 03 लड़का अपने—अपने कंधे में बैग टांग कर इधर—उधर देखते हुये आ रहे हैं। शंका होने पर उक्त तीनों के तरफ बढ़े तो तीनों लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा तब पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया जिसमें से दो लड़का पकड़ा गया तथा एक लड़का भागने में सफल हो गया। पकड़ाये दोनों लड़के से नाम पूछने पर अपना—अपना नाम प्रिंस कुमार एवं दिपक कुमार बताया तथा भागने वाले लड़का का नाम राहुल कुमार उर्फ रामू बताया गया। दोनों के पास से बरामद बैग के बारे में पूछने पर बताया कि इसमें शराब है, जिसे चितरंजन से खरीद कर ला रहे हैं। उसके बाद दोनों की बैग की तलाशी ली गई तो प्रिंस कुमार के पास से बरामद काले रंग के बैग में ऑफिसर च्वायस, 180 एम0एल0 का 50 पीस फ्रुटी पैक विदेशी शराब कुल 09 लीटर तथा समसंग कंपनी का काला मोबाइल जिसमें एयरटेल कंपनी का सीम लगा था जिसका नंबर—7783871759 एवं मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर—3531592106380547/01 एवं 351593106380545/01 की बरामदगी की गई। वहीं दिपक कुमार के पास से काले रंग के बैग में ऑफिसर च्वायस, 180 एम0एल0 का 51 पीस फ्रुटी पैक विदेशी शराब कुल 09 लीटर 180 एम.एल. एवं जी0ओ0 कंपनी का दो मोबाइल जिसमें एक में मोबाइल नंबर 9341273027 लगा था तथा मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर—359994171499453 था तथा दूसरे मोबाइल का नंबर 9905162929 था तथा मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर—911656308777807 की बरामदगी की गई।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से सी.आर.पी.सी. की धारा 438 एवं 439 के तहत कोई भी आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, लखीसराय के यहां पोक्सो केस नंबर—09/20 लंबित है, जिसमें आवेदक बेल पर है। आवेदक दिनांक—03.10.2022 से न्यायिक

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–द्वितीय,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2261/2022
किउल थाना कांड सं0–143/2022

लगातार.....
11.11.2022

हिरासत में है। आवेदक बिल्कुल ही निर्दोष व्यक्ति है, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा इस केस में झूठा फसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल ही झूठा, मनगढ़त एवं सत्य से परे व निराधार है। आवेदक के जिम्मे से किसी भी प्रकार की शराब की बरामदगी नहीं की गई है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति का शराब आवेदक के जिम्मे से दिलवाया गया है। आवेदक शराब पीने का आदतन नहीं है और न ही शराब की खरीद बिक्री करने का धंधा करता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी इस नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों का बहस सुने जाने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से कंडिका–41 दिनांक–02.11.2022 तक की अद्यतन वाद दैनिकी दाखिल किया गया है, जिसके कंडिका–38 में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कवैया थाना कांड संख्या–165/20 दिनांक–10.03.2020, धारा–448, 323, 307, 354(a), 354(b)/34 भा0द0वि0 एवं धारा–37(b),(c) उत्पाद अधिनियम एवं धारा–08 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है तथा आवेदक अभियुक्त कि जमानत आवेदन के कंडिका–03 में भी यह उल्लिखित किया गया है कि इनके विरुद्ध पोक्सो केस नंबर–09/20 लंबित है, जिसमें ये जमानत पर हैं। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त पर उनके दखल कब्जे से ऑफिसर च्वायस, 180 एम0एल0 का 51 पीस फ्रुटी पैक विदेशी शराब कुल 09 लीटर 180 एम.एल. की बरामदगी का आरोप है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा अपने आपराधिक इतिहास में जमानत पर रहने की बात कही गई है तथा सुनवाई के क्रम में भी इस बात का समर्थन किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–04.10.2022 से आज तक न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इनके कारा की अवधि एक महीने से अधिक की है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विशेष रूप से इन तथ्यों पर सम्यक् विचार करते हुए कि आवेदक अभियुक्त की कारा संसीमित की अवधि एवं इनके पास से बरामद शराब की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **दिपक कुमार, पिता–श्री मुरारी साव** का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

तद्नुसार, आवेदक अभियुक्त की ओर से मो. 10,000 रूपये का समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि (1) इनका एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे तथा (2) आवेदक अभियुक्त यह अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे इस प्रकृति के अपराध की पुर्नावृत्ति भविष्य में नहीं करेंगे और यदि वे उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पुनः कोई अपराध करते पाये जाते हैं, तो उनका बंधपत्र खंडित किया जा

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–द्वितीय,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2261/2022
किउल थाना कांड सं0–143/2022

लगातार.....

11.11.2022

सकेगा। प्रस्तुत वाद की निश्चित तिथि 16.11.2022 है। आवेदक अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निश्चित तिथी को एवं तत्पश्चात् आरोप गठन के बिन्दु पर आदेश तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे।

कार्यालय आदेश की एक मूल अभिलेख के साथ संलग्न करें तथा नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(संदीप सिंह)
अ0 जि0 एवं सत्र न्या0, पंचम–सह–
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय, द्वितीय
लखीसराय।
दिनांक–11.11.2022